

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
आदेश

सं०-03/आ०1-241/2025/श्री अमरेन्द्र कुमार गौड़, जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया एवं श्री शिवम, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, खगड़िया के विरुद्ध श्री शैलेन्द्र सिंह तरकर, खगड़िया द्वारा परिवाद दायर किया गया। परिवाद में श्री अमरेन्द्र कुमार गौड़ एवं श्री शिवम के विरुद्ध कतिपय आरोप लगाये गए हैं।

2. प्राप्त परिवाद की जांच क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर से कराया गया।

3. क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में श्री शैलेन्द्र सिंह तरकर, खगड़िया द्वारा दायर परिवाद को संचिकास्त किया जाता है।

4. उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/

(मनोरंजन कुमार)

निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक-03/आ०1-241/2025 1391487/ पटना, दिनांक-.....06/04/2026

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर/श्री अमरेन्द्र कुमार गौड़, जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया/श्री शिवम, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, खगड़िया एवं आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by

Manoranjan Kumar

Date: 06-04-2026 15:36:26
निदेशक (प्रशासन)